संख्या-2/2016/242/सत्तर-2-16(390)/2013

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 306 /राउ०शि०प०/20
दिनांक 1-4-2016

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 मार्च, 2016

विषय:- प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में संचालित "उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना में" संशोधन किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-53/सत्तर-2-2014-16(390)/2013 दिनांक 05-02-2014 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अधीन सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने एवं सुधार को प्रोत्साहित करने, अनुभवी एवं दक्ष शिक्षकों को सेवा के बेहतर अवसर प्रदान करने एवं छात्रहित में उक्त पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे पात्र एवं उत्कृष्ट महाविद्यालयों (नैक द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त) को राज्य सरकार द्वारा सीमित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है। योजना को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश संख्या-53/सत्तर-2-2014-16(390)/ 2013 दिनांक 05-02-2014 के प्रस्तर-4(2) एवं प्रस्तर-4(3) में निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

4(2) इस योजना के अन्तर्गत आवदेन प्रतिवर्ष दिनांक 30 जून तक दिया जाना आवश्यक होगा।

-2-

http://shasanadesh.up.nic.in

4(3) योजनान्तर्गत आने वाले महाविद्यालय इस आशय की वचनबद्धता देंगे कि वे योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता एवं विभिन्न स्रोतों से महाविद्यालय को होने वाली आय के माध्यम से छठें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप शिक्षक को अनुमन्य मूल वेतन का न्यूनतम + ग्रेडपे एवं उस पर अनुमन्य मंहगाई भत्ते के समतुल्य धनराशि, वेतन के रूप में भुगतान करेंगे। प्रश्नगत योजनान्तर्गत शिक्षकों को दिये जाने वाले भुगतान में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र के अंश का अनुपात 80:20 होगा।

2- उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत योजना का लाभ दिये जाने हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में mode or manner का निर्धारण शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक 09-05-2000, शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 11-01-2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23-08-2011 एवं अन्य संगत शासनादेशों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

3- उच्च शिक्षा गुणवत्ता संवर्धन प्रोत्साहन योजना विषयक शासनादेश संख्या-53/सत्तर-2-2014-16(390)/2013 दिनांक 05-02-2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

5- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-595/दस-2016 दिनांक 29 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2/2016/242(1)/सत्तर-2-2016-तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 ।

(2) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 ।

(3) महालेखाकार-1, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री । (श्रीमती अनीता सिंह)

(5) समस्त मण्डलीय, उच्च शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 ।

(6) समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0 ।

(7) समस्त जिलाविद्यालय, निरीक्षक, उ0प्र0 ।

(8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11/वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

(9) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु ।

(10) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।

(11) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

मधु जोशी

(मधु जोशी)

विशेष सचिव।